भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

**लोक सभा**
**अतारांकित प्रश्न संख्या - 4401**
(जिसका उत्तर शुक्रवार, 08 अगस्त, 2014/17 श्रावण, 1936 (शक) को दिया गया)

**<u>निवेशकों का संरक्षण</u>**

**4401. श्री हेमन्त तुकाराम गोडसे :**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान कंपनी के प्रमोटरों द्वारा पैसा उगाहते समय निवेशकों को गुमराह किए जाने के मामलों में वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कंपनी-वार ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;
(ग) क्या सरकार ने देश में निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि की स्थापना की है; और
(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसी निधि की स्थापना करने के उद्देश्य क्या है?

## उत्तर

**कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती निर्मला सीतारमण)**

**(क) और (ख) :** पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान, 78 कंपनियों के संबंध में प्रमोटरों द्वारा पैसा उगाहते समय निवेशकों को गुमराह किए जाने के मामले इस मंत्रालय के ध्यान में लाए गए। मंत्रालय ने गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 235 के तहत उक्त कंपनियों के कार्यों की जांच के आदेश दिए हैं।

**(ग) और (घ)** : मंत्रालय ने कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग के तहत 'निवेशक शिक्षा और सुरक्षा निधि (आईईपीएफ)' नामक एक निधि की स्थापना की है। इस निधि का उद्देश्य निवेशक शिक्षा, जागरूकता और सुरक्षा से जुड़े कार्यकलापों को सहायता उपलब्ध कराना है।

*****